भारत सरकार,
आयकर आयुक्त कार्यालय,
उदयपुर।

विषय:– आयकर अधिनियम,1961 की धारा–12ए(ए) के अधीन न्यास / संस्था का पंजीकरण –

Wagad Sewa Sansthan Trust
Dharamshala, M.G. Hospital Complex,
Banswara.

प्रार्थी जो न्यास विलेख / मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन दिनांक 19-09-2002 के अधीन गठित है, ने निर्धारित प्रारूप में आयकर अधिनियम,1961 की धारा–12ए(ए) के अधीन पंजीकरण प्रार्थना पत्र दिनांक 22-11-2002 को प्रस्तुत किया है।

यह प्रार्थना पत्र निर्धारित समयावधि में है।

~~यह प्रार्थना पत्र निर्धारित समय के ———— विलम्ब से होने पर मयाद बाहर था। न्यास / संस्था द्वारा प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत करने के कारण समुचित होने से इस देरी को माफ की जाता है।~~

~~प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण संतोषजनक समुचित न होने के फलस्वरूप प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं।~~

अतः प्रार्थी संस्था का आयकर अधिनियम,1961 की धारा–12ए(ए) प्रावधानो के अन्तर्गत पंजीकरण दिनांक 19-09-2002 से प्रभावी होगा।

प्रार्थना पत्र को धारा–12ए(ए) के अन्तर्गत इस कार्यालय के प्रार्थना पत्रो के रजिस्टर संख्या 38/3 Vol.II पर दर्ज कर लिया गया है।

(हस्ताक्षर)
आयकर आयुक्त,
उदयपुर

कमांक–आ.आ. / उदय / न्याय / 12ए(ए)/928 दि: 11-03-2003

1– Wagad Sewa Sansthan Trust,
Dharamshala, M.G. Hospital Complex,
Banswara.

2– JCIT, Chittorgarh Range, Chittorgarh. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेश दिए जाते हैं कि इस मामले में वह प्रार्थी के दावे को आयकर अधिनियम की धारा–11 और 80जी के तहत मान्यता / अमान्यता के सम्बन्ध में अलग से जांच करें, क्योंकि धारा 12ए(ए) के अधीन पंजीकरण देने से ही कोई मामला अपने–आप धारा–11 और 80जी के तहत छूट का हकदार (मान्य) नहीं हो जाता।

(हस्ताक्षर)
आयकर अधिकारी (तकनीकि),
कृते– आयकर आयुक्त, उदयपुर।

(मुहर) क्र. 123 दि. 21-3-03

क्रमांक 252
24/6/07

भारत सरकार
कार्यालय
आयकर आयुक्त
16, सूरज टावर, उदयपुर
GOVERNMENT OF INDIA
Office of The
Commissioner of Income Tax
Udaipur

क्रमांकः आ.आ./उदय/न्यायिक/2007–2008/418 दिनांक : 15.06.2007

आदेश :–

विषयः– आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के अधीन छूट।
–– 00 ––

दानदाताओं द्वारा वागड़ सेवा संस्थान ट्रस्ट, बांसवाड़ा को दिये गये दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के अधीन उक्त धारा में विहित सीमाओं तथा शर्तो के साथ आयकर से छुट के योग्य होंगे ।

यह छूट 01.04.2007 से 31.03.2010 तक को समाप्त अवधि/कर निर्धारण वर्ष 20010–11 तक निम्नाकिंत शर्तों के साथ मान्य होगी :–

1. दानदाताओं को दी जाने वाली रसीद पर इस आदेश की संख्या एवं दिनांक अंकित किये जावें और यह स्पष्ट रूप से लिखा जावें कि यह प्रमाण पत्र किस दिनांक/अवधि तक मान्य है ।
2. आय एवं व्यय के लेखा विवरण एवं चिटठा प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वाले आयकर अधिकारी को जिसके क्षेत्राधिकार में प्रकरण आता हो सालाना प्रस्तुत किये जावें ।
3. यदि संस्था के संविधान/गठन में कोई संशोधन किया जावे तो इसकी जानकारी इस कार्यालय को तत्काल दी जावे ।
4. संस्था को दिए गए दान के लिए दानदाता आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के प्रावधानों/शर्तो/सीमाओं के अनुसार छूट प्राप्त करने के हकदार होगें ।

ह०
(एम0 एस0 मीना)
आयकर आयुक्त
उदयपुर

नोट :–

इस प्रमाण पत्र के आधार पर संस्था को अपने कर निर्धारण के समय छूट प्राप्त करने का कोई अधिकार नही होगा । निर्धारण अधिकारी यह जांच–पडताल करें कि निर्धारिती (संस्था) आयकर अधिनियम की धारा 2(15) के प्रावधानों के अनुसार धर्मार्थ (चेरिटेबल) है या नहीं और धारा 11, 12, 12ए(ए) धारा 13 में उल्लेखित शर्ते पूरी करता है या नही ।

प्रतिलिपि :–

1. अध्यक्ष/न्यासी वागड़ सेवा संस्थान ट्रस्ट, बांसवाड़ा
2. आयकर अधिकारी, वार्ड–बांसवाडा को प्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि संस्था/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणों की स्वयं जांच–पडताल करें कि धारा 80 जी तथा प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों एवं सम्बन्ध में लागू होने वाली शर्तों को निरन्तर पूरा करता हैं ।
3. अपर आयकर आयुक्त, रेंज–चितौडगढ

क्रमांक 252
24/6/07

16/6/07
(कुन्जुमोन अब्राहम)
आयकर अधिकारी (तक.)